झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका - 1489/2022

दिनेश सिंह, उम्र लगभग 61 वर्ष, पिता - स्वर्गीय केवल सिंह, निवासी - कांदू मुहल्ला, महिला सिलाई केंद्र के पास, डाकघर - बेलवाटिका, थाना - मेदनीनगर, जिला - पलामू

..... याचिकाकर्ता

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, स्थानापन्न - रांची, नेपाल हाउस, डाकघर डोरंडा, थाना - डोरंडा, जिला - रांची
3. इंजीनियर-इन-चीफ-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची, स्थानापन्न - नेपाल हाउस, डाकघर+ थाना - डोरंडा, जिला रांची
4. अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डाल्टनगंज, स्थानापन्न – डाल्टनगंज, डाकघर+थाना - डाल्टनगंज, जिला -पलामू
5. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, डाल्टनगंज, स्थानापन्न - डाल्टनगंज, डाकघर+थाना - डाल्टनगंज, जिला पलामू
6. महालेखाकार, झारखण्ड, रांची, स्थानापन्न - ए.जी. कार्यालय, डोरंडा, डाकघर+थाना - डोरंडा, जिला - रांची
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार, झारखण्ड, रांची, स्थानापन्न - ए.जी. कार्यालय, डोरंडा, डाकघर+थाना - डोरंडा, जिला रांची

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री समावेश भंज देव, अधिवक्ता
प्रतिवादियों की ओर से : श्री मुन्ना लाल यादव, एससी (एल&सी)-III
श्री राहुल देव, ए.सी, एस.सी से (एल&सी)-II
श्री अरविंद कुमार मेहता, अधिवक्ता
(महालेखाकार की ओर से)

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ एक उचित रिट/नियम/निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को आदेश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता को कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में उसके द्वारा किए गए कार्य की अवधि की गणना करते हुए संपूर्ण सेवानिवृत्ति पश्चात बकाया राशि का तुरंत भुगतान करें।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पूरक प्रति-शपथपत्र दिनांक 18.12.2023 के कंडिका-11 एवं 12 में यह उल्लेखित है कि झारखंड राज्य ने वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 128 दिनांक 17.07.2023 के तहत यह निर्णय लिया है कि नियमित स्थापना में लिए गए कर्मचारी द्वारा कार्य परिवर्तन स्थापना में प्रदान की गई सेवा की संपूर्ण अवधि को पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए गिना जाय।

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस निवेदन के मद्देनजर, इस रिट याचिका का प्रतिवादियों द्वारा पारित उक्त संकल्प के अनुसार निपटारा किया जाता है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय की प्राप्ति/पेश होने की तिथि से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवानिवृत्ति पश्चात देय राशि के निर्धारण के लिए कार्य प्रभार स्थापना में उसके द्वारा कार्य की गई अवधि को शामिल करते हुए निर्णय लें।

5. इस रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखण्ड उच्च न्यायालय,रांची
दिनांक, 17 फ़रवरी, 2024
Smita /AFR

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।